अपील संख्या :– 2013/332 (121/2013) 223 आर.टी.ए.

वकील सिंह पुत्र श्री बीकर सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. भूरा सिंह पुत्र स्व0 श्री बुगर सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (मृतक)।

1/1. भोला सिंह पुत्र स्व0 श्री भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. मिठ्ठू सिंह पुत्र स्व0 श्री बुगर सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/1. नसीब कौर पत्नी स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/2. श्रीमति छिन्द्र कौर पत्नी श्री मदन सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी पुलिस थाने के पास, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/3. श्रीमति मानो पत्नी श्री गुरलाल सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/4. श्रीमति रज्जी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्री स्व0 री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी पुलिस थाने के पास, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/5. श्रीमति मूर्ति पत्नी श्री गुरमीत सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/6. श्रीमति सोनी कौर पत्नी श्री हरमन्दर सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

3. भजन सिंह
4. गुरजीत सिंह

} पिसरान श्री हमीर सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री सहायक कलैक्टर, टिब्बी दिनांक 28.05.2012. प्रकरण संख्या 274/2012 बअनवानी भूरासिह वगैरह बनाम भजनसिंह वगैरह

1. श्री छगनलाल सिडाना अभिभाषक, अपीलार्थी।
2. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण संख्या 1/1, 2/1 से 2/6।
3. श्री खुशप्रीत सिह सन्धू अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण संख्या 3 व 4।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:–02.05.2019

1. अपीलार्थी ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), टिब्बी द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.05.2012 के विरूद्व बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अपील से सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के साथ दुर्भिसंधि करते हुए राजस्व वाद बाबत घोषणा विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 6 जी0जी0आर0 जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 136/120 में कुल 8.551 हैक्टेयर कृषि भूमि है। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के नाम 19 हिस्सा व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता के नाम 20 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जो सैटलमेन्ट में बुगर सिंह के नाम दर्ज चली आ रही थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के दादा दयाल सिंह के नाम 19 हिस्सा पूर्व में सयुंक्त खाता में दर्ज थी। दयाल सिंह के देहान्त के बाद उक्त भूमि का इन्तकाल प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज होकर उनका खाता अलग कायम हो गया लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में खाता अलग–अलग होने के बाद भी उनके नाम की पूर्व की प्रविष्टी यथावत चलती रही। अपीलांट ने अपनी मिमों ऑफ अपील में यह भी कथन किये कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से दुर्भिसंधि करते हुए दिनांक 28.05.2012 को विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर बिना किसी हक व अधिकार के राजीनामा प्रस्तुत किया व अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये बिना प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में वाद पत्र निर्णित कर डिक्री कर दिया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 को 12 हिस्सा व प्रत्यर्थी संख्या 2 को 7 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया व प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट ने अपनी मिमों ऑफ अपील में यह आधार लिये कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 ने जरिये इन्तकाल न0. 503 दिनांक 16.09.2005 को चक 6 जी0जी0आर0 के पत्थर न0. 209/293 (86) किला न0. 1 से 10, 11/.240, 12 ता 17, 18/.164, 19/.101 हैक्टेयर, 20/.013, 24/.025, 25/.114 कुल 4.705 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवा लिया व प्रत्यर्थीगण संख्या 3 व 4 के पिता हमीर सिंह पुत्र दयाल सिंह ने इसी नामान्तरण के जरिये चक 6 जी0जी0आर0 के पत्थर न0. 208/293 (85) किला न0. 4, 5, 6/.228 पत्थर न0. 210/293 (87) किला न0. 1, 10, 11 कुल तादादी 1.493 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवा लिया। उक्त परिस्थितियों में प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 व इनके पिता हरनेक सिंह का नाम कलमजन होना चाहिए था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 व इनके पिता हमीर सिंह ने राजस्व विभाग के कर्मचारीयों व अधिकारीयों से दुर्भिसंधि कर अपने नाम की प्रविष्टी यथावत रखी। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 मे यह कथन किये कि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से विपरित रूप से प्रभावित है तथा उसकी जमीन कम हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का हिस्सा पूर्व में ही अलग हो गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का कोई हिस्सा शेष रहा ही नही लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा 3 व 4 ने आपस में दुर्भिसंधि करते हुए अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री प्राप्त की है तथा धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर निवेदन करते हुए अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट का हिस्सा कम हुआ है, इस कारण अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित है तथा निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट वकील सिंह का राजस्व अभिलेख में 2/5 हिस्सा दर 5 हिस्सा अर्थात 2 बीघा कृषि भूमि है तथा जमाबंदी सम्वत 2068-71 में अपीलांट के नाम 2/5 हिस्सा दर 5 हिस्सा दर्ज है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट का हिस्सा कम नही हुआ है। अपीलांट के कोई हित प्रभावित नही होते। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने न्यायालय का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 126/2004 में पारित डिक्री दिनांक 09.06.2005 की ओर आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 तथा हमीर सिंह पुत्र- दयाल सिंह की कृषि भूमि पत्थर न0. 208/293 किला न0. 4 ता 6 व पत्थर न0. 210/293 किला न0. 1, 10, 11 व पत्थर न0. 209/293 (86) किला न0. 1 ता 10, 11/.240, 12 ता 17, 18/.164, 19/.101, 20/.013, 24/.025, 25/.114 कुल 6.228 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता अलग हो गया तथा शेष रही कृषि भूमि 8.551 हैक्टेयर में जग्गा सिंह वल्द किशन सिंह 1/5 हिस्सा दर 5 हिस्सा, अपीलांट वकील सिंह पुत्र बिकर सिंह 2/5 हिस्सा दर 5 हिस्सा, परसीनी पत्नी ठाणा सिंह, सुखदेव कौर, जसविन्द्र सिंह पुत्रीयां ठाणा सिंह 1/5 हिस्सा दर 5 हिस्सा, बलवीर कौर पत्नी शेर सिंह, अमर सिंह, जलावर सिंह, कर्म सिंह, जरनैल सिंह पिसरान शेर सिंह 1/5 हिस्सा दर 5 हिस्सा है व इसके अलावा गुजरी कौर, गुड्डी कौर पुत्रीया बुगर सिंह का कुल 1.260 हैक्टेयर कृषि भूमि का हिस्सा है व हरनेक सिंह वल्द जयमल सिंह का 6 हिस्सा है चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के मुताबिक हरनेक सिंह पुत्र जयमल सिंह का 5 हिस्सा ही है तथा शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चूंकि अपीलांट के हिस्सा में कोई कमी नही आई है, इस कारण अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से प्रभावित नही है तथा अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट का हिस्सा अपीलांट का हिस्सा अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है तथा अपीलांट का 2/5 हिस्सा दर 5 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से प्रभावीत नही है अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वीकार करते है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की 19 हिस्सा का खाता अलग हो चुका है तथा गलत रूप से उक्त प्रविष्टी रहने से रेस्पोडेन्ट के हित प्रभावीत हो रहे है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने वाद पत्र के अनुतोष में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज 19 हिस्सा के सम्बन्ध में घोषणा चाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने 19 हिस्सा की घोषणा गलत रूप से पारित की है। न्यायालय के समक्ष यह भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का 19 हिस्सा अर्थात चक 6 जी0जी0आर0 के पत्थर न0. 209/293 किला न0. 1 ता 10, 11/.240, 12 ता 17, 18/.164, 19/.101, 20/.013, 24/.025, 25/.114 कुल 4.705 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता अलग हो चुका है तथा हमीर सिंह पुत्र दयाल सिंह की 6 बीघा कृषि भूमि पत्थर न0. 268/293 किला न0. 4 ता 6 पत्थर न0. 210/293 किला न0. 1, 10, 11 कुल 6 बीघा कृषि भूमि का खाता भी अलग हो चुका है। जब उपरोक्तानुसार खाता अलग हो चुका है तो इस खाते में मौजूद भजनसिंह, गुरजीतसिंह पिसरान हमीरसिंह का 19 हिस्सा एवं हमीरसिह पुत्र दयालसिंह का 6 हिस्सा इस खाते में अंकित रहने का औचित्य नहीं है। इसे कलमजन किया जाना चाहिय था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भजनसिह वगैरह के 19 हिस्सा की घोषणा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया जाना त्रुटिपुर्ण है/अतः उपरोक्त विवेचन के आलौक में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री मे संशोधन किया जाना न्यायौचित है।

6. अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.05.2012 बअनवानी भूरासिह बनाम भजनसिह आदि प्रकरण संख्या 274/2012 में संशोधन किया जा कर चक 6 जी.जी.आर. के खाता संख्या 136/120 में दर्ज गुरजीतसिंह, भजनसिह पिसरान हमीरसिंह 19 हिस्सा व हमीरसिह वल्द दयाल सिंह 6 हिस्सा का अंकन कलमजन किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। पक्षकारान उपरोक्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। उपरोक्तानुसार अपील निर्णित की जाती है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचंद)

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

राजस्व अपील प्रा
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

डिक्री व सानी अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

बइजलास मूल चन्द आर0ए0एस0

अपील संख्या 2013/00332 (121/2013) 223 आरटीएक्ट

वकील सिंह पुत्र श्री बीकर सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. भूरा सिंह पुत्र स्व0 श्री बुगर सिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (मृतक)।

1/1. भोला सिंह पुत्र स्व0 श्री भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. मिठ्ठू सिंह पुत्र स्व0 श्री बुगर सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/1. नसीब कौर पत्नी स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/2. श्रीमति छिन्द्र कौर पत्नी श्री मदन सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी पुलिस थाने के पास, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/3. श्रीमति मानो पत्नी श्री गुरलाल सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/4. श्रीमति रज्जी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्री स्व0 री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी पुलिस थाने के पास, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/5. श्रीमति मूर्ति पत्नी श्री गुरमीत सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/6 श्रीमति सोनी कौर पत्नी श्री हरमन्दर सिंह पुत्री स्व0 श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

3. भजन सिंह
4. गुरजीत सिंह
} पिसरान श्री हमीर सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री सहायक कलैक्टर, टिब्बी दिनांक 28.05.2012. प्रकरण संख्या 274/2012 बअनवानी भूरासिह वगैरह बनाम भजनसिंह वगैरह

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री छगनलाल सिडाना अभिभाषक, अपीलार्थी, श्री राजेशदीप राय अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण संख्या 1/1, 2/1 से 2/6, श्री खुशप्रीत सिह सन्धू अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण संख्या 3 व 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.05.2012 बअनवानी भूरासिह बनाम भजनसिंह आदि प्रकरण संख्या 274/2012 में संशोधन किया जा कर

अपील प्राधिकारी

चक 6 जी.जी.आर. के खाता संख्या 136/120 में दर्ज गुरजीतसिंह, भजनसिह पिसरान हमीरसिंह 19 हिस्सा व हमीरसिह वल्द दयाल सिंह 6 हिस्सा का अंकन कलमजन किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। पक्षकारान उपरोक्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

डिक्री आज दिनांक 02.05.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official